

102

समाहरणालय, मधेपुरा
(आपदा प्रबंधन शाखा)

-: आदेश:-

सरकार के संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 109 (आवंटन)/ कृ० दिनांक 20.08.2013 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में मुख्य शीर्ष -2401-फसल कृषि कर्म उपमुख्य शीर्ष -00- लघुशीर्ष -109- विस्तार तथा किसानों की प्रशिक्षण - मांग संख्या -01- उपशीर्ष -0103 बाढ़ सुखाड़ की आपातकालीन योजना विपत्र कोड- P2401001090103 राज्य योजना स्कीम कोड AGR- 56 83 विषय शीर्ष -3301-सब्सिडी मद में मधेपुरा जिला को मो० 5114700/- (एकावन लाख चौदह हजार सात सौ)रु० मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसे निम्नांकित शर्तों के अन्तर्गत सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को निम्न विवरणी के अनुरूप उपावंटित किया जाता है :-

क्र०	उपावंटन प्राप्त करनेवाले पदाधिकारी का पदनाम	पूर्व उपावंटन	वर्तमान उपावंटन	कुल उपावंटित राशि
1	प्र० वि० पदाधिकारी, मधेपुरा	1193430	511460	1704890
2	प्र० वि० पदाधिकारी, घैलाढ़	631820	270780	902600
3	प्र० वि० पदाधिकारी, सिहेश्वर	912620	391120	1303740
4	प्र० वि० पदाधिकारी, गम्हरिया	561620	240690	802310
5	प्र० वि० पदाधिकारी, शंकरपुर	631820	270780	902600
6	प्र० वि० पदाधिकारी, मुरलीगंज	1193440	511460	1704900
7	प्र० वि० पदाधिकारी, कुमारखंड	1474240	631800	2106040
8	प्र० वि० पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज	1123230	481380	1604610
9	प्र० वि० पदाधिकारी, ग्वालपाड़ा	842485	361100	1203585
10	प्र० वि० पदाधिकारी, बिहारीगंज	842420	361030	1203450
11	प्र० वि० पदाधिकारी, चौसा	912620	391120	1303740
12	प्र० वि० पदाधिकारी, पुरैनी	631820	270780	902600
13	प्र० वि० पदाधिकारी, आलमनगर	982735	421200	1403935
कुल योग		11934300	5114700	17049000

कुल - (एक करोड़ सत्तर लाख उनचास हजार)रु०

उपावंटन की शर्त :-

- उपरोक्त उपावंटन वित्त विभागीय ज्ञापनांक 2561वि० (2) दिनांक 17.04.1998 में निहित निदेश के आलोक में दी जा रही है।
- यह राशि चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में मुख्य शीर्ष 2401 फसल कृषि कर्म उपमुख्य शीर्ष -00- लघुशीर्ष -109- विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण - मांग संख्या-01-उपशीर्ष -0103 बाढ़ सुखाड़ की आपातकालीन योजना -विपत्र कोड- P2401001090103, राज्य योजना स्कीम कोड AGR- 56 83, विषय शीर्ष - 3301 - सब्सिडी मद में विकलनीय होगा।
- यह अनुदान धान बीचड़ा के लिए बीज गिराने, लगे हुए बीचड़ा की सिंचाई करने, सिंचाई कर धान की रोपनी करने, खड़े धान की सिंचाई कर मक्का लगाने, खड़े मक्का करने के लिए अनुमान्य किया जायेगा। धान के लिए अधिकतम 3 सिंचाई, धान बिचड़ा के लिए अधिकतम 2 सिंचाई एवं मक्का के लिए अधिकतम 3 सिंचाई हेतु अनुदान दिया जायेगा।

२

4. खरीफ फसलों की एक एकड़ क्षेत्र में एक सिंचाई के लिए 10लीटर डीजल खपत के अनुमान के अनुसार 25रूपया प्रति लीटर डीजल पर अनुदान के आलोक में 250रूपये प्रति एकड़ प्रतिसिंचाई की दर से अनुदान अनुमान्य किया जा सकता है। एक किसान को एक ही खेत के लिए अधिकतम 3 सिंचाई हेतु 750 रूपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान का भुगतान किया जा सकता है। खरीफ मौसम की अवधि में उगाये जाने वाले किसी अन्य फसल तथा सब्जी आदि की सिंचाई की आवश्यकता होने पर प्रशासी विभाग द्वारा स्वीकृत राशि की सीमा में सिंचाई हेतु डीजल अनुदान स्वीकृत किया जा सकता है।
5. यह अनुदान सभी प्रकार के किसानों को देय होगा। अनुदान की राशि पंचायत क्षेत्र के किसानों के अतिरिक्त नगर निकाय क्षेत्र के किसानों को भी देय होगा। नवार्ड फेज 8 में निर्मित राजकीय नलकूप को किसानों/ किसान समितियों के द्वारा परिचालित किए जाते है उनके द्वारा भी डीजल क्य कर सिंचाई करने पर अनुदान का लाभ दिया जा सकता है।
6. उक्त फसलों के सिंचाई के लिए 30 अक्टूबर,2013 तक डीजल क्य करने पर यह अनुदान देय होगा। 15 नवम्बर तक सभी किसान सलाहकार/ हल्का कर्मचारी /पंचायत सेवक अनिवार्य रूप से सभी किसानों के सत्यापित दावे प्रखंड को उपलब्ध करा देंगे। प्रखंड द्वारा तुरंत आवश्यक राशि की निकासी को जायेगी। 30 नवम्बर तक सभी दावे का भुगतान निश्चित रूप से कर दिया जायेगा।
7. डीजल अनुदान भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार से होगी :-
 - (i) प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा पंचायत विशेष के लिए आवेदन लेने/सत्यापन करने हेतु किसान सलाहकार/हल्का कर्मचारी/पंचायत सेवक में से किसी एक को प्राधिकृत किया जायेगा।
 - (ii) किसान डीजल का क्य कर अपने खेत की सिंचाई करेंगे। डीजल का क्य मात्र अधिकृत विक्रेता से किया जायेगा एवं अधिकृत विक्रेताओं के द्वारा निर्गत कॅशमेमो ही आवेदन के साथ लगाये जायेंगे। कॅशमेमो के साथ विहित प्रपत्र (अनुसूची-02) में किसान अपना आवेदन किसान सलाहकार/ हल्का कर्मचारी /पंचायत सेवक को समर्पित करेंगे। किसान पावती रसीद अवश्य रूप से ले लेंगे तथा इसे सुरक्षित रखेंगे। आवेदन पत्र में किसान ने जिस खेत की सिंचाई के विरुद्ध डीजल अनुदान का दावा किया है, उस खेत के आस- पास खेती करने वाले किसान से यह सत्यापन करायेगें कि उन्होंने सिंचाई किया है।
 - (iii) किसान सलाहकार/ हल्का कर्मचारी /पंचायत सेवक अपने स्तर पर प्राप्त आवेदन का सत्यापन खेत में जाकर करेंगे। सत्यापन का कार्य सिंचाई के एक सप्ताह के अंदर किया जायेगा। किसान सलाहकार/ हल्का कर्मचारी /पंचायत सेवक सत्यापित आवेदन पर डीजल अनुदान के लिए अनुशंसित दर्ज करेंगे तथा सिंचाई की गई रकवा एवं कॅशमेमो के अनुसार अनुशंसित राशि दर्ज करेंगे। किसान सलाहकार/ हल्का कर्मचारी /पंचायत सेवक अपने स्तर पर रजिस्टर रखेंगे जिसमें आवेदन को तिथि अनुसार दर्ज किया जायेगा। इस रजिस्टर में आवेदन की प्रगति भी दर्ज की जाएगी।
 - (iv) किसान सलाहकार/ हल्का कर्मचारी /पंचायत सेवक के द्वारा माह के 15 तारीख से पूर्व प्राप्त आवेदन में से सत्यापित आवेदन तथा अनुशंसित राशि की समेकित सूची माह के 15 तारीख को निश्चित रूप से संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को भेजी जायेगी। 15 तारीख एवं 30 तारीख के बीच प्राप्त आवेदन के संदर्भ में 30 तारीख को सत्यापित आवेदन तथा किसान सलाहकार/ हल्का कर्मचारी /पंचायत सेवक के द्वारा प्रत्येक माह में दो बार प्रखंड विकास पदाधिकारी को समेकित सूची भेजी जायेगी। किसान सलाहकार/ हल्का कर्मचारी /पंचायत सेवक अपने कार्य क्षेत्र के किसानों से प्राप्त आवेदन (स्वीकृत एवं अस्वीकृत) को उक्त समेकित सूची के साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी को भेज देंगे।
 - (v) सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवंटित राशि की सीमा में राशि उपावंटित की गई है। प्रखंड विकास पदाधिकारी किसान सलाहकार/ हल्का कर्मचारी /पंचायत सेवक से प्राप्त सूची के अनुसार राशि की निकासी करेंगे। निकासी के पश्चात् डीजल अनुदान अनुश्रवण सह निगरानी समिति की

2 ↑

देखरेख में डीजल अनुदान का वितरण किया जायेगा। वितरण निकासी के एक सप्ताह के अन्दर सुनिश्चित किया जायेगा। वितरण के लिए कैंप लगाया जायेगा तथा इसकी सूचना अनुश्रवण सह निगरानी समिति के सभी सदस्यों को दी जायेगी। संबंधित किसानों को भी कैंप की सूचना दी जायेगी। परदारिता के लिए प्रखंड/पंचायत के सूचना पट पर लाभुक किसानों की सूची प्रदर्शित की जायेगी। कैंप में अनुश्रवण सह निगरानी समिति के जिन सदस्यों की उपस्थिति में डीजल अनुदान का वितरण किया जायेगा उनका हस्ताक्षर प्राप्त किया जायेगा।

(vi) डीजल अनुदान मद में निकासी की गई राशि का वितरण पंचायत क्षेत्र के किसानों के लिए डीजल अनुदान अनुश्रवण सह निगरानी समिति की देखरेख में किया जायेगा। इस समिति का गठन निम्न प्रकार से होगा :-

i. मुखिया	- अध्यक्ष
ii. सरपंच	- सदस्य
iii. पंचायत वार्ड के सदस्यगण	- सदस्य
iv. विगत चुनाव में मुखिया पद के लिए हारे हुए निकटतम उम्मीदवार	- सदस्य
v. विगत चुनाव में सरपंच पद के लिए हारे हुए निकटतम उम्मीदवार	- सदस्य
vi. पंचायत समिति के संबंधित सदस्य	- सदस्य
vii. संबंधित किसान सलाहकार/ हल्का कर्मचारी / पंचायत सेवक	- सदस्य

(vii) नगर क्षेत्र के किसानों को डीजल अनुदान का भुगतान निम्न प्रकार से गठित डीजल अनुदान अनुश्रवण सह निगरानी समिति की देखरेख में किया जायेगा। इस समिति का गठन निम्न प्रकार से होगा -

i. नगर निगम/ नगर निकाय/ नगर पंचायत के अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष	- अध्यक्ष
ii. नगर निगम/ नगर निकाय/ नगर पंचायत के वार्ड सदस्य	- सदस्य
iii. विगत चुनाव में नगर निकाय/ नगर वार्ड / नगर पंचायत के नगर वार्ड सदस्य पद हेतु हारे हुए निकटतम उम्मीदवार (प्रतिद्वंदी)	- सदस्य
iv. नगर निगम/ नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी	- सदस्य
v. संबंधित किसान सलाहकार/ हल्का कर्मचारी / पंचायत सेवक	- सदस्य


(viii) वितरण के पश्चात् राशि एवं किसानों से संबंधित पूर्ण वितरण प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा संधारित की जायेगी।


(ix) यदि किन्हीं किसानों को अपने आवेदन के संदर्भ में किसी प्रकार की शिकायत होगी तो वे लिखित रूप से यह शिकायत डीजल अनुदान अनुश्रवण सह निगरानी समिति के समक्ष रखेंगे। ऐसे सभी शिकायतों को 15 दिनों के अंदर किसान सलाहकार/ हल्का कर्मचारी / पंचायत सेवक के द्वारा जाँच की जायेगी। जो किसान वांछित अर्हता रखते हैं उन्हें अनुदान का भुगतान अगले कैंप में किया जायेगा।


8. आवश्यकता होने पर प्रशासी विभाग द्वारा कार्यान्वयन अनुदेश में परिवर्तन किया जा सकता है।

9. व्यय की गई राशि का व्यय प्रतिवेदन, उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं लाभान्वित कृषकों की सूची की प्रति तथा निकासी की गई राशि की डी0सी0 विपत्र सीधे महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी एक प्रति जिला आपदा शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

- 10. उपावटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाए। विपत्र पर सही शीर्ष /उप शीर्ष का मुहर लगाया जाए अन्यथा ऑकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेदारी आवंटन प्राप्त करनेवाले पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।
- 11. उपावटित राशि का व्यय विवरणी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। यदि उक्त राशि इस वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत व्यय नहीं होने की स्थिति में अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक 15.03.2014 तक निश्चित रूप से कर दिया जाए। यह सुनिश्चित करना उपावटन प्राप्त करनेवाले पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।
- 12. उपावटित राशि का निकासी एवं व्यय उपरोक्त कड़िकाओं में वर्णित निदेशों के अनुरूप ही किया जाय। इसकी पूर्ण जबाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
इसकी सूचना संबंधितों को दी जाय।



 27/08/13
 प्रभारी पदाधिकारी
 कोषागार मधुपुर
 मधुपुर
 26.8.13



 27/8/13
 जिला पदाधिकारी
 कोषागार मधुपुर
 मधुपुर



 27/8/13
 जिला पदाधिकारी
 मधुपुर।

ज्ञापांक 338-2 /आ0प्र0,मधुपुर,दिनांक 27.08.2013

प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधुपुर जिला /कोषागार पदाधिकारी, मधुपुर/ जिला कृषि पदाधिकारी मधुपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, मधुपुर/उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि :- आयुक्त, कोशी प्रमंडल सहरसा/सरकार के संयुक्त सचिव,कृषि विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ सन्निहित।


 27/08/13
 प्रभारी पदाधिकारी
 कोषागार मधुपुर
 मधुपुर
 26.8.13


 27/8/13
 जिला पदाधिकारी
 कोषागार मधुपुर
 मधुपुर


 27/8/13
 जिला पदाधिकारी
 मधुपुर।